प्रेस विज्ञप्ति

सितम्बर17, 2018

<u>जी.एस.टी प्रैक्टिशनरो के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा</u>

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवँ नार्कोटिक्स नासिन को अधिसूचना सं० 24/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 28.05.2018 के तहत् केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विनिमय, 2017 के नियम 83 के उप-नियम(3) के अनुसार जी.एस.टी. प्रैक्टिशनरों (जी.एस.टी.पी.) के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा आयोजित करवाने हेतु अधिकृत किया गया है।

नियम 83(2) के अधीन जी.एस.टी. नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83(1)(ख) के अधीन आने वाले जी.एस.टी.पी, अर्थात जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनरों या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के तौर पर, तत्कालीन कानून के अधीन कम से कम पांच वर्षों की नामांकन की पात्रता मापदंड को पूरा करते हों, उनके लिए नियम 83(3) के द्वितीय परंतुक (प्रोविसीओ) के अंतर्गत, उक्त परीक्षा को 31.12.2018 के पहले उत्तीर्ण करना अपेक्षित है। ऐसे जी.एस.टी.पी. हेतु परीक्षा भारत में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर 31.10.2108 को प्रात: 11:00 बजे से अपराह्न 13:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

यह परीक्षा कम्प्यूटर के माध्यम से (कंप्यूटर बेस्ड) होगी। इस परीक्षा हेतु योग्य जी.एस.टी.पी. द्वारा पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है, जिसका लिंक (https://nacin.onlineregistrationform.org/) नासिन और सी बी आई सी की वेबसाईटों पर उपलब्ध होगा। पंजीकरण पोर्टल 25 सितम्बर, 2018 को खुलेगा और 10 अक्टूबर, 2018 तक खुला रहेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए, एक सहायता केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा हेतु पंजीकरण के समय 500/-रू की परीक्षा फीस का ऑनलाईन भुगतान अपेक्षित है।

<u>परीक्षा का स्वरूप एवँ पाठ्यक्रम</u>

प्रश्न पत्र: जी एस टी कानून एवँ प्रक्रियाएँ

समय: 2 घंटे 30 मिनट

बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या : 100

प्रश्नों की भाषा : अंग्रेजी एवँ हिंदी

अधिकतम अंक : 200

उत्तीर्णांक : 100

नकारात्मक अंकन नहीं है।

<u>पाठ्यक्रम:</u>

1. केन्द्रीय माल एवँ सेवा कर अधिनियम, 2017
2. एकीकृत माल एवँ सेवा कर अधिनियम, 2017
3. सभी राज्य माल एवँ सेवा कर अधिनियम, 2017
4. संघ क्षेत्र माल एवँ सेवा कर अधिनियम, 2017
5. माल एवँ सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017
6. केन्द्रीय माल एवँ सेवा कर विनियम, 2017
7. एकीकृत माल एवँ सेवा कर विनियम, 2017
8. सभी राज्य माल एवं सेवा कर विनियम, 2017
9. समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचनाएँ, परिपत्र एवँ आदेश।

***